



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268970
CG-DL-E-31122025-268970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 857]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 943(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक और उपधारा (4) तथा उपधारा (6) के खंड (च) एवं धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) तथा धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये 31 मार्च, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में,

(क) नियम 11 में -

(i) उप-नियम (1) में, “क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) में -

(I) “क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)” शब्दों और कोष्ठकों के दोनों स्थानों पर, जहां कहीं ये आते हैं, “प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1” शब्द रखे जाएंगे।

(II) “नियम 12-क के अनुसरण में निर्धारित समय के भीतर, ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी या वेब सेवा डीआईआर-3-केवाईसी-वेब, जैसा भी मामला हो, में अपनी विशिष्टियां” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “नियम 12-क के अनुसार प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी वेब में अपनी विशिष्टियां” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(iii) उप-नियम (3) में, “केवल ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी या वेब सेवा डीआईआर-3-केवाईसी-वेब, जैसा भी मामला हो”, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी-वेब” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) नियम 12क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“12क : निदेशकों का केवाईसी तथा उसका अद्यतन.-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास किसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को निदेशक पहचान संख्या है, उसे प्रत्येक तीसरे लगातार वित्तीय वर्ष के तुरंत पश्चात आने वाली 30 जून को या उससे पहले केन्द्रीय सरकार को प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी वेब में केवाईसी सूचना फाइल करेगा।

(2) प्रत्येक वह व्यक्ति, जिसके पास निदेशक पहचान संख्या है, अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, ई-मेल पता अथवा आवासीय पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी वेब प्रस्तुत करेगा।”

(ग) उपाबंध में, विद्यमान प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी तथा डीआईआर-3-केवाईसी-वेब के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्—

प्ररूप सं. डीआईआर-3-केवाईसी-वेब



प्ररूप की भाषा

● अंग्रेजी

● हिंदी

डीआईएन के परिवर्तन या पुनर्सक्रियन की सूचना

[कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014
के नियम 11 एवं 12क के अनुसरण में]

* चिह्नित सभी फ़ील्ड का भरा जाना अनिवार्य है

प्ररूप फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें

उद्देश्य:

☐ डीआईएन का पुनर्सक्रियन ☐ केवाईसी अनुपालन ☐ मोबाइल संख्या का अद्यतन ☐ ईमेल आईडी का अद्यतन

☐ स्थायी आवासीय पते का अद्यतन ☐ वर्तमान आवासीय पते का अद्यतन

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

(ख) *नाम

2. वर्तमान मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी:

(क) वैयक्तिक मोबाइल संख्या

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

(ख) मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

ओटीपी सत्यापित करें

(ग) वैयक्तिक ईमेल आईडी

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

(घ) ईमेल-आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

ओटीपी सत्यापित करें

3. डीआईएन धारक का नाम (पूरा नाम प्रविष्ट करें और संक्षिप्त नामों का उपयोग न करें)

(क) पहला नाम

(ख) अंतिम नाम

(ग) मध्य नाम

4. राष्ट्रीयता

5. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

6. आय-कर पैन्

आयकर पैन् सत्यापित करें

7. पासपोर्ट संख्या

8. अद्यतनित मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी:

(क) वैयक्तिक मोबाइल संख्या

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

ओटीपी सत्यापित करें

(ख) मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

(ग) वैयक्तिक ईमेल आईडी

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

(घ) ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

ओटीपी सत्यापित करें

9. स्थायी आवासीय पता

क्या आपका भारत के बाहर स्थायी पता है

☐ हाँ☐ नहीं

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश

पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

10. क्या वर्तमान आवासीय पता वही है जो स्थायी आवासीय पता है

☐ हाँ☐ नहीं

11. वर्तमान आवासीय पता

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश

पिन कोड/ज़िप कोड

क्षेत्र/स्थान

शहर

जिला

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

आवासीय प्रमाण

(मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/आधार/बैंक स्टेटमेंट/उपयोगिता बिल)

संलग्नक

(क) विशिष्टियों में परिवर्तन का प्रमाण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(बी) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं तथा इस प्ररूप के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि ये विशिष्टियां नियम 12क में उपबंधित अवधि के भीतर सूचित की जा रही हैं।

यदि इस आवेदन में दिया गया कोई विवरण मिथ्या पाया जाता है या किसी महत्वपूर्ण सूचना का लोप किया हुआ पाया जाता है तो मैं इस अधिनियम की धारा 448 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंधित उपबंधों के अधीन और यथा लागू किसी अन्य विधि के अधीन दायी रहूंगा/रहूंगी।

डीआईएन धारक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

व्यवसायिक वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मुझे सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप के विषय-वस्तु तथा उससे आनुषंगिक विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का

अवलोकन किया है और मैंने ऊपर दिए गए विवरणों (संलग्नक/संलग्नकों सहित) का सत्यापन कंपनी/आवेदक द्वारा अनुरक्षित मूल/प्रमाणित अभिलेखों से किया है, जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु हैं, और उन्हें सत्य, सही तथा पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि—

1. उक्त अभिलेखों को समुचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार अनुरक्षित किया गया है और उन्हें सही पाया गया है।
2. सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्णतः तथा स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।
3. यह समझा जाता है कि किसी भी स्तर पर यदि कोई गलत प्रमाणीकरण पाया जाता है, तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी रहूँगा/रहूँगी।

द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

श्रेणी

चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में,

लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में, कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)

सहयोगी है या फेलो

☐ एसोसिएट

☐

फेलो

सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण पत्र

सहेजें

प्रस्तुत करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाण पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह प्ररूप कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और डीआईएन धारक और वृत्तिक द्वारा दिए गए सत्यता के विवरण के आधार पर रखी गई फाइल में रख लिया गया है।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-1]

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

टिप्पण: कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 259 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा 2 अप्रैल 2014 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 412(अ), तारीख 16 जुलाई, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

G.S.R. 943(E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, sections 153, 154, 157 and 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 31st day of March, 2026.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, -

(a) in rule 11,—

(i) in sub-rule (1), for the words and brackets “Regional Director (Northern Region), Noida”, the words and letter “Regional Director, Northern Region Directorate I” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2),—

(I) for the words and brackets “Regional Director (Northern Region)”, at both the places where they occur, the words and letter “Regional Director, Northern Region Directorate I” shall be substituted;

(II) for the words, letters and figures “particulars in e-form DIR-3-KYC or the web service DIR-3 KYC-WEB, as the case may be, within stipulated time in accordance with rule 12A”, the words, letters and figures “particulars in Form No. DIR-3-KYC-Web in accordance with rule 12A” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (3), for the words, letters and figures “only after e-form DIR-3-KYC or the web service DIR-3-KYC-WEB, as the case may be, is filed”, the words, letters and figures “only after Form No. DIR-3-KYC-Web is filed” shall be substituted;

(b) for rule 12A, the following rule shall be substituted, namely:-

“12A. Directors KYC and updation thereof.— (1) Every individual who holds a Director Identification Number as on the 31st March of a financial year, shall file KYC intimation in Form No.

DIR-3 KYC Web to the Central Government on or before the 30th June of the immediately following every third consecutive financial year.

(2) Every individual holding a Director Identification Number shall, in the event of change in his personal mobile number, email address or residential address, submit Form No. DIR-3 KYC Web within a period of thirty days of such change along with fee as provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.”;

(c) in the Annexure, for the Forms “DIR-3-KYC and DIR-3- KYC-WEB”, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form No. DIR-3-KYC-Web**Intimation of Changes or Reactivation of DIN**

[Pursuant to rule 11 and 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]



Form language

☒ English☐ Hindi*All fields marked in * are mandatory**Refer instruction kit for filing the form*

Purpose:

☐ Reactivation of DIN ☐ KYC compliance ☐ Update of Mobile Number ☐ Update of Email ID

☐ Update of permanent residential address ☐ Update of Present residential address

1. (a) *Director Identification Number (DIN)

(b) *Name

2. Existing Mobile number and Email ID:

(a) Personal Mobile Number

Send OTP

Re-send OTP

(b) Enter OTP for Mobile Number

Verify OTP

(c) Personal Email ID

Send OTP

Re-send OTP

(d) Enter OTP for email-ID

Verify OTP

3. DIN Holder's Name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

4. Nationality



5. Date of birth (DD/MM/YYYY)

6. Income tax PAN

Verify Income Tax PAN

7. Passport number

8. Updated Mobile number and Email ID:

(a) Personal Mobile Number

(b) Enter OTP for Mobile Number

Send OTP

Re-send OTP

Verify OTP

(c) Personal Email ID

(d) Enter OTP for e-mail ID

Send OTP

Re-send OTP

Verify OTP

9. Permanent residential address

Do you have permanent address outside India

☐ Yes ☐ No

Address Line 1

Address Line 2

Country

Pin Code/Zip Code

Area/Locality

City

District

State/UT

10. Whether present residential address is same as permanent residential address

☐ Yes ☐ No

11. Present residential address

Address Line 1

Address Line 2

Country

Pin Code/Zip Code

Area/Locality

City

District

State/UT

Residential Proof



(Voters Identity Card/ Passport/Driving License/Aadhaar/Bank Statement/Utility Bill)

Attachments

(a) Proof of change in particulars

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

(b) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

Verification

I hereby declare that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents being attached to this form.

I also declare that the particulars are being intimated within the period provided in the rule 12A.

I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.

To be digitally signed by DIN holder

DSC BOX

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.
3. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

To be digitally signed by

DSC BOX

Category

Chartered accountant (in whole-time practice),

Cost accountant (in whole-time practice) , Company Secretary (in whole-time practice)



Whether associate or fellow

☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

Service request number (SRN)

Filing date (DD/MM/YYYY)

This Form has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the DIN Holder and professional. ”.

[F. No. 8/4/2018-CL-I]

BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

Note: The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 2nd April 2014 vide number G.S.R. 259(E) dated 31st March, 2014 and was last amended, vide notification number G.S.R. 412(E), dated the 16th July, 2024.